UPBJ010071042022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर), कोर्ट नं0–5, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम लाल–द्वितीय), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP06467

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2870/2022

शीवा उर्फ रानी पत्नी शहजाद, निवासीः– कलालान, कस्बा व थाना नगीना, जनपद बिजनौर।

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0–173/2022
धारा– 3(1) गिरोहबन्द अधिनियम
थाना– नगीना व जिला बिजनौर।

दिनाँक 17–10–2022

1. अभियुक्ता शीवा उर्फ रानी की ओर से मुकदमा अपराध सं0–173/2022, धारा– 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना– नगीना व जिला बिजनौर, के अन्तर्गत जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इस प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र के अलावा अन्य कोई भी जमानत का प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में पैंडिंग नहीं है।

3. अभियुक्ता की ओर से संक्षेप में कहा गया कि प्रार्थिनी को उपरोक्त वाद में रंजिश की बिनाह पर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी निर्दोष है। प्रार्थिनी के विरुद्ध कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। प्रार्थिनी किसी भी गैंग की सदस्या या लीडर नहीं है। प्रार्थिनी पर केवल एक ही मुकदमा है और उसमें प्रार्थिनी जमानत पर है। प्रार्थिनी से जनता में कोई भय व्याप्त नहीं है। प्रार्थिनी के छोटे–छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल करने वाला प्रार्थिनी के अलावा कोई नहीं है। प्रार्थिनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगी। प्रार्थिनी का कोई

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2022.10.17 16:02:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराधिक इतिहास नहीं है और प्रार्थिनी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। प्रार्थिनी अपनी मौतबिर जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

4. इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कहा गया कि अभियुक्ता द्वारा कारित किया गया अपराध गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम से सम्बन्धित है। अभियुक्ता का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने कहा कि अभियुक्त वाहिद उर्फ टल्ली ने अपना एक सक्रिय गिरोह बना रखा है तथा शहजाद, नौशाद, आसिफ, सरवर, दानिश व शीबा उर्फ रानी इस गिरोह के सक्रिय सदस्य है, जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ कमाने हेतु अवैध शस्त्र रखकर गौवंशीय पशु का वध कर गौमांस बेचकर अवैध रूप से धन कमाते हैं। आम जनता में इनका आतंक तथा भय व्याप्त है। जनता का कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता है। उपरोक्त अभियुक्तगण अपने निजी स्वार्थ की पूति हेतु भा0दं0वि0 के अध्याय 16, 17 एवं 23 में वर्णित जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इनका आम जनता में स्वछन्द रहना जनहित में हितकर नहीं है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के आधार पर मुकदमा अपराध सं0 173/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्ता शीबा उर्फ रानी गैंग की सदस्य है।

7. अनुमोदित गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्ता के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं0 89/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम का मुकदमा दर्शित किया गया है। अभियुक्ता को गिरोहबन्द बताया गया हैं।

8. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (4) के अनुसार संहिता में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बन्धपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कि–

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय

उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

9. प्रश्नगत मामले में अभियुक्ता की ओर से ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह समाधान हो सके कि अभियुक्ता अपराध में संलिप्त नहीं रही है और उसके द्वारा जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध कारित करने की सम्भावना नहीं है। अभियुक्ता द्वारा कारित किया गया गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम का अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का बताया गया है। मामले में बगैर गुण–दोष पर अभिमत व्यक्त किये, अपराध की प्रकृति तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्ता को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

10. अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2870/2022 निरस्त किया जाता है। अभियुक्ता या उसके पैरोकार को नियमानुसार आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनाँक 17–10–2022

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर),
कोर्ट नं0–5, बिजनौर।